

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... महाशु कुलकर्णी एवं ९.०.० मुकाम... खामड

जेताराम बनाम श्रीरामराम कर्कर

किस्म मुकदमा... रा. फा. ९० RTACT नं. 125 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/17	<p>प्रार्थी/बादी/अपीलांत के वकील श्री <u>दामोदर कुमर चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/बाद/अपील धारा <u>९० RTACT</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/09/17</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बाणपुर</p>
20/09/17	<p><u>वादी व डील व वादीगण (लॉकर)</u></p> <p>1. ले 4 स्वयं उपलब्ध। प्रतिवादी लॉकर</p> <p>2. श्री मौर ले व डील श्री पूनमसिंह चौधरी द्वारा पञ्चालातनाम पेश किया गया, तथा प्रतिवादी लॉकर 1 स्वयं उपलब्ध ट्रेडर ईडुवाली जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का फाउ संक्षिप्त में इस उद्देश्य है कि वादीगण मूलतः हेमराम के पौत्र एवं प्रतिवादी श्रीरामराम की जायन्त मालिक है। जिनके संक्षिप्त एवं पेश कुवजा खुदा ध्यातेगरी का खेत वकत सैटलमेन्ट ले मोजा बुडों की जमी में केस एमरा नम्बर 436/207 रकबा- 37.06 बीघा किस्म गारानी डोयम, एमरा नम्बर- 458/223 रकबा-</p>	<p><u>जेताराम</u></p> <p><u>बरकराम</u></p> <p><u>श्रीरामराम</u></p>

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बाणपुर

26.02 वर्षों का हिस्सा वारानी कुल रकबा-123.08 वर्ग  
 के माझे उप है। उक्त भूमि वारीगण के दादा व परिवारी  
 श्रीरामराम के पिता हेमराम के नाम से सेटलमेंट पर्य  
 जारी हुआ वायफ्त माराजी पर वारीगण पत्थेडु का 1/5-  
 1/5 हिस्सा एवं परिवारी का भी 1/5 का हिस्सा मुजब  
 कज का मत पला मा रहा है वारीगण को अपने  
 हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि विकास  
 जमी संस्थाओं से मदद करीर लेडर उपजाऊ बनाने के  
 लिए व विकास करवाना चाहते हैं लेकिन राजस्व  
 रैकड में वारीगण का नाम मंजित नहीं होने के व  
 काट ध्यातेरारी घोषणा का उपयुक्त किया गया।

वारीगण परिवारी श्रीरामराम श्री जाग्रत  
 मोलाड है इनके सिवाय श्रीरामराम के मन्थ कोड सीधिस  
 वारिस भी नहीं है। उक्त वायफ्त माराजी पत्थेडु भूमि  
 है जिसमें वारीगण का जन्म से ही ध्यातेरारी अधिकारी  
 उत्पन्न होने के कारण उक्त विवायफ्त माराजी में वारी-  
 गण को परिवारी के साथ सह ध्यातेरार घोषित किया जावे।

वारीगण का फाट डन रजिस्ट्रर किया  
 गया। परिवारी की ओर से वकील श्री पूनमा सिंह कोचरी  
 द्वारा व डालातनामा पैदा किया गया। परिवारी स्वयं श्री-  
 रामराम उपस्थित जिनकी ओर से ई कवालिथ जवाब पैदा  
 किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वारी साक्ष्य  
 के रूप में PW-1 श्री जेतराम पुत्र श्रीराम जाति- जाट  
 निवासी- हुडों की गली तहसील- वायडु व परिवारी साक्ष्य  
 के रूप में DW-1 श्री रामराम पुत्र हेमराम जाति- जाट  
 निवासी- हुडों की गली तहसील- वायडु के वापस पत्र पैदा  
 किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इसने वारीगण व परिवारी के अधिकार  
 की बहस सुनी व पत्रावली, पत्रावली के संलग्न राजस्व  
 रैकड का अपलोडन किया गया। पत्रावली के संलग्न

सहायक कमिश्नर (SDO)  
 वायडु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

वस्तु से सम्बन्धित सेटलमेंट पन्चा लगान प्रतिवादी के  
पिता हेमराम के नाम जारी है जिसमें इन्फ्रिंजमेंट  
पैटेंट देना याचित है।

सतः पन्चागणों का वादस्वीकार  
किया जाकर विवाहित भारती गौजा हुडो की वकील  
के प्लेट नम्बर- 436/207 रकबा- 97.06 बीघा  
किन्म वारानी दोबरा व प्लेट नम्बर- 450/223  
रकबा- 26.02 बीघा किन्म वारानी डुल रकबा-  
123.08 बीघा भूमि में पन्चागण प्लेट नम्बर 1/5-1/5  
दिसा व परिवार का भी 1/5 दिसा व भूमि  
प्यालेटरी में घोषित की जाती है। तदमीलान्तर वायतु  
रानी कुमुम राजाव रेड्ड के ममलदारान्तर है।  
डिग्री पचा जारी है, पत्रावली केमल कुमर है,  
दर्ज नम्बर में कम है, दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर (SBO)  
बायतु

# डिकरी व मुकदमे इत्तदाई

अज अदालत: सहायक कलेक्टर एवं सी.डी.ओ. मुकाम वायत  
सी.डी.ओ. रा.एस. जे. ताराम कोरा वनाम मीरामाराम  
 इजलास.....  
 दावा बाबत रा. वा. 88 RTA  
 मुकदमा नं. 125/17 सन्. 2017

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रुबरु न्यायालय  
 व हाजरी सी. एसो. सुमार चौधरी मिनजानिब मुदई व.....  
सी. सुनमसिंह चौधरी

मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का का स्वीकार किया जाऊं विवादित आराजी मीजा इसे ही डाणी तस्मील-वायत ई खेत घामरा नम्बर- 436/207 रकबा- 97.06 बीघा बिस्म-वारानी डोयम व घामरा नम्बर- 458/223 रकबा- 26.02 बीघा बिस्म-वारानी डोयम उल रकबा- 123.08 बीघा भूमि के वादीगण उत्प्रेषण का 1/5-1/5 हिस्सा व उत्तियाई का 1/5 हिस्सा की भूमि का घामेदार कास्कार घोषित किया जात है। तस्मीलगा वायत सी भुवगा वाजव वेर्ड में भमलरामा रहे। यर्चा पसुजरान सपना- अपना पदन रहे।

कौम..... मुबलिंग..... बाबत.....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करें।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 09 2017 को जारी की गई।



दस्तखत .....  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
 ओहदा वायत

वायत मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

वाडीगाव

वनाम

प्रतिवादी

1. जेठाराम पुत्र भीराम
  2. रुपाराम पुत्र भीराम
  3. नरकराम पुत्र भीराम
  4. नेनाराम पुत्र भीराम
- जाति- जाट निवासी-हुडो श्रीवाणी  
तहसील-वायटु जिला-बाइमेर

1. भीरामाराम पुत्र हेमराम  
जाति- जाट निवासी-  
हुडो श्रीवाणी तहसील वायटु  
जिला- बाइमेर



  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
वायटु